



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092026-276007
CG-DL-E-05092026-276007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948
No. 530]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1590).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1394) दिनांक 22 दिसम्बर 2025 (प्रकाशित दिनांक 06 जनवरी 2026)

अनुसूची के क्रम संख्या 10 और 11, कॉलम (5) में — '15 जून 2026' को '15 दिसम्बर 2026' से प्रतिस्थापित करें।

2) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1292) दिनांक 15 जुलाई 2025 (प्रकाशित दिनांक 17 जुलाई 2025)

अनुसूची के क्रम संख्या 06, कॉलम (5) में — '10 जनवरी 2026' को '10 जनवरी 2027' से प्रतिस्थापित करें।

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./299/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th August, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1590).— Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1394) dated 22 December 2025 (Published on 06 January 2026)

Sl No. 10 and 11, column (5) of schedule — Substitute '15 December 2026' for '15 June 2026'.

2) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1292) dated 15 July 2025 (Published on 17 July 2025)

Sl No. 06, column (5) of schedule — Substitute '10 January 2027' for '10 January 2026'.

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Exty./299/2026-27]